पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16798

==========

गणेश पासवान, पुत्र - श्री सौदागर पासवान, गाँव के निवासी - कामताउल, पुलिस थाना-कामताउल, जिला - दरभंगा।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, बेली रोड, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला दरभंगा।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी, दरभंगा।
5. खंड शिक्षा अधिकारी, जाले, जिला-दरभंगा।
6. पंचायत सचिव, कामताउल, पुलिस स्टेशन कामताउल, जिला-दरभंगा।
7. रवि कुमार भारती पुत्र - श्री अनिल कुमार पासवान, गाँव के निवासी - भवानीपुर, थाना - सिंघवाड़ा, जिला - दरभंगा।

.... उत्तरदाता/ओं

==========

विचाराधीन मुद्दाःक्या अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों में कोई कमी थी। अर्थात जिला शिक्षक रोजगार अपीलीय प्राधिकरण दरभंगा और राज्य अपीलीय प्राधिकरण, शिक्षा विभाग ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति पुरुष श्रेणी के तहत पंचायत शिक्षक के पद पर नियुक्ति में उम्मीदवार की बर्खास्तगी के संबंध में

ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति पुरुष श्रेणी के तहत पंचायत शिक्षक के पद पर नियुक्ति-आवेदन आमंत्रित-योग्यता सूची प्रकाशित-परामर्श आयोजित-नियुक्ति पत्र जारी-प्रामाणिक उम्मीदवार-सरकार द्वारा किसी अन्य तिथि पर परामर्श निर्धारित किया गया था, लेकिन मनमाने ढंग से किसी अन्य तिथि पर रखा गया था-पंचायत शिक्षक-के पास आवश्यक योग्यता थी-

सेवा समाप्ति/बर्खास्तगी के संबंध में-जिला शिक्षक रोजगार अपीलीय प्राधिकरण दरभंगा, शिक्षा विभाग के आदेश को अपील में राज्य अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन - इसलिए-आदेश को रद्द करने के लिए वर्तमान रिट याचिका

अभिनिर्धारित-आदेश में जिला प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि परामर्श की तारीख को इस तरह से आगे बढ़ाना अन्य उम्मीदवारों को अवसर से वंचित करने के बराबर होगा और इस तरह ग्राम पंचायत द्वारा चयन की प्रक्रिया दुष्प्रमाणित हो जाती है।

असली/प्रामाणिक उम्मीदवार-जिसके पास आवश्यक योग्यता थी-ने उच्चतम अंक प्राप्त किए-परामर्श आयोजित किया-परामर्श सरकार द्वारा किसी अन्य तिथि पर निर्धारित किया गया था, लेकिन मनमाने ढंग से किसी अन्य तिथि पर रखा गया था-पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए-परामर्श आयोजित किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता उपस्थित हुए लेकिन अन्य उम्मीदवार उपस्थित नहीं हुए

अभिनिर्धारित-पंचायत सचिव ने अन्य उम्मीदवार की तुलना में कम अंक होने के बावजूद धोखाधड़ी से याचिकाकर्ता को नियुक्त किया-कथित रूप से यह दावा करते हुए कि अन्य तिथि पर परामर्श आयोजित किया गया था, अन्य उपयुक्त उम्मीदवारों को अवसर से वंचित करने के लिए-अन्य तिथि पर परामर्श निर्धारित किया गया था-अन्य उम्मीदवार ने चयन समिति के समक्ष सत्यापन के लिए प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन पंचायत सचिव ने कम अंक होने के बावजूद धोखाधड़ी से याचिकाकर्ता को नियुक्त किया-ग्राम पंचायत द्वारा की गई चयन प्रक्रिया दुष्प्रभावित हो जाती है। दोनों अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों में कोई कमी नहीं है और संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा कथित परामर्श के आधार पर नियुक्ति वैध नहीं है। [कंडिका 5,6]

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.16798

==========

गणेश पासवान, पुत्र - श्री सौदागर पासवान, गाँव के निवासी - कामताउल, पुलिस थाना-कामताउल, जिला - दरभंगा।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, बेली रोड, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला दरभंगा।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी, दरभंगा।
5. खंड शिक्षा अधिकारी, जाले, जिला-दरभंगा।
6. पंचायत सचिव, कामताउल, पुलिस स्टेशन कामताउल, जिला-दरभंगा।
7. रवि कुमार भारती पुत्र - श्री अनिल कुमार पासवान, गाँव के निवासी - भवानीपुर, थाना - सिंघवाड़ा, जिला - दरभंगा।

.... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री अशोक कुमार चौधरी

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री कामेश्वर कुमार (जीपी17)

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा

मौखिक निर्णय

दिनांक: 04-01-2024

1. याचिकाकर्ता ने 2017 के अपील मामला संख्या 427 में राज्य अपीलीय प्राधिकरण, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा पारित दिनांक 20.08.2018 के आदेश को रद्द करने के लिए वर्तमान रिट आवेदन को प्राथमिकता दी है, जिसके द्वारा जिला शिक्षक रोजगार अपीलीय प्राधिकरण, दरभंगा (जिसे इसके बाद "जिला प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित दिनांकित 01.02.2011 के आदेश को बरकरार रखा गया है।

2. वर्तमान रिट आवेदन में शामिल संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम पंचायत-कामताउल, ब्लॉक-जाले, दरभंगा में अनुसूचित जाति (पुरुष) श्रेणी के तहत पंचायत शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे जिसमें याचिकाकर्ता के साथ-साथ निजी प्रतिवादी सं. 7 ने भी आवेदन किया।

3. अनंतिम योग्यता सूची चयन समिति द्वारा 24.12.2008 को प्रकाशित की गई थी जिसमें 68.44% अंक रखने वाले याचिकाकर्ता को क्रम संख्या 5 पर देखा गया था। जबकि निजी प्रत्यर्थी सं. 7/रवि कुमार भारती को 76.55% अंकों के साथ क्रम संख्या 2 पर रखा गया था। परामर्श 18-02-2009 को आयोजित किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता उपस्थित

हुआ लेकिन निजी प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ। तदनुसार, पत्र सं. 35, दिनांकित 14-08-2010 नियुक्ति पत्र याचिकाकर्ता को जारी किया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने समर्पित किया कि याचिकाकर्ता एक *प्रामाणिक* उम्मीदवार था और उसके पास पंचायत शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता थी। परामर्श 18.02.2009 को आयोजित किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता ने अन्य उम्मीदवारों के साथ भाग लिया और भाग लेने वाले उम्मीदवारों में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले याचिकाकर्ता को विधिवत पत्र संख्या - 35, दिनांकित - 14.08.2010 के माध्यम से नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता नियुक्ति के अनुसरण में इस पद पर शामिल हुए एवं दिनांकित 29.03.2011 तक यानि पंचायत शिक्षक के रूप में अपनी सेवा की समाप्ति तक कायम रहे। याचिकाकर्ता को जिला प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.02.2011 के पारित आदेश के अनुसार सेवा समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विद्वान राज्य अपीलीय प्राधिकरण इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा है कि निजी प्रतिवादी सं. 7 ने परामर्श में उपस्थित नहीं होने का फैसला किया और अब वह दूसरे स्कूल में सेवा में लगा हुआ है इसलिए वह अब याचिकाकर्ता की नियुक्ति का विरोध नहीं कर रहा है। याचिकाकर्ता को बिना किसी गलती के पीड़ित होने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, निजी प्रतिवादी के पास ऐसा कोई मामला नहीं है कि उसे 18.02.2009 को परामर्श शुरू करने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि परामर्श सरकार द्वारा 28.02.2009 को आयोजित किया जाना तय किया गया था, जबकि वर्तमान मामले में परामर्श मनमाने ढंग से 18.02.2009 को आयोजित किया गया था, जिसमें केवल चार उम्मीदवारों को उपस्थित दिखाया गया था। अभिलेख से यह सुस्पष्ट है कि निजी उत्तरदाता सं. 7 को अनुपस्थित चिन्हित किया गया। जिला प्राधिकरण अपने आदेश में इस निष्कर्ष पर

पहुंचा है कि परामर्श की तारीख का ऐसा पूर्वन अन्य उम्मीदवारों को अवसर से वंचित करने के बराबर होगा। इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा की गई चयन प्रक्रिया दूषित हो जाती है।

6. मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और जिला प्राधिकरण और राज्य अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अध्ययन किया। निजी उत्तरदाता सं. 7 ने 76.55% अंक प्राप्त किए हैं और क्रम संख्या पर रखा गया है। योग्यता पैनल में क्रम सं. 2 पर रखा गया है, ने नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ विद्वान जिला प्राधिकरण के समक्ष आपत्ति दर्ज की। जिला प्राधिकरण के समक्ष निजी प्रत्यर्थी का तर्क सं. 7 का तर्क यह था कि उसने सरकार द्वारा निर्धारित तिथि यानी 28.02.2009 को परामर्श में भाग लिया और चयन समिति के समक्ष सत्यापन के लिए प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन पंचायत सचिव ने धोखाधड़ी से याचिकाकर्ता को उससे कम अंक होने के बावजूद नियुक्त किया, कथित रूप से यह दावा करते हुए कि परामर्श 18.02.2009 को आयोजित किया गया था।

7. मुझे पता चला है कि जिला प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि राज्य सरकार के विभाग के आदेश के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों में परामर्श की तारीख 28.02.2009 तय की गई थी, लेकिन वर्तमान मामले में परामर्श 18.02.2009 पर आयोजित किया गया था क्योंकि इस तरह परामर्श की तारीख का पूर्वन अन्य उपयुक्त उम्मीदवारों को अवसर से वंचित करने के बराबर होगा।

8. ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मेरी यह सुविचारित राय है कि ग्राम पंचायत कामतौल, ब्लॉक जाले, जिला - दरभंगा की रोजगार इकाई द्वारा 18.02.2009 को आयोजित की गई एवं उस तारीख को कथित परामर्श के आधार पर की गई नियुक्ति वैध नहीं है और अवैध है। इस प्रकार, संबंधित ग्राम पंचायत, कामताउल, ब्लॉक जाले, जिला-

दरभंगा द्वारा की गई चयन प्रक्रिया दूषित हो गई है। तदनुसार, मुझे दोनों अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों में कोई कमजोरी नहीं मिलती है।

9. नतीजतन, यह आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रफुल्ल/- एएफआर

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।